न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस जिला सीकर(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संयोगिता गहलोत आरजेएस

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या— 778/2016

प्राथमिकीकर्ता का नाम	लक्ष्मण पुत्र रामदेव निवासी गढी पोस्ट सरगोठ जिला सीकर।
अभियुक्त का नाम एवं पता	विक्रमसिंह पुत्र गुमानसिंह निवासी प्लाट नम्बर 79 शिवनगर दादी का फाटक जयपुर।
अपराध अन्तर्गत धारा	279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट
अभियुक्त का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही
प्राथमिकी संस्थित करने की दिनांक	03.09.2019
अभियोजन साक्षी	पी ड 1 लक्ष्मणराम, पी ड 2 रोहिताश, पी ड 3 सुभाष कुमार, पी ड 4 डा. अटलसिंह, पी ड 5 डा. चैनाराम, पी ड 6 सुभाषचन्द
अभियोजन दस्तावेज	रिपोर्ट प्रदर्शपी 1, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2, नक्शा मौका प्रदर्शपी 3, चोट प्रतिवेदन सुभाष व कृष्ण प्रदर्शपी 4 व 5
अभियुक्त साक्षी	कोई नहीं
निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	——
निर्णय दिनांक	01.08.2026
अन्तिम निर्णय	01.08.2026
अधिवक्ता राज्य की ओर से	श्री सहायक लोक अभियोजक
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मुकेश ढेनवाल

—:: निर्णय ::— दिनांकः 01.08.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.09.2019 को परिवादी लक्ष्मण ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 03.09.2019 समय करीब 8.05 बजे कृष्ण कुमार व सुभाष मोटर साईकिल नम्बर आरजे 41 एसइ 7433 से सरगोठ से रींगस आते समय सिमारला मोड के पास में लोक परिवहन की बस ने तेजगति व लापरवाहीपूर्वक मोटर साईकिल के पीछे से टक्कर मारी जिससे मोटर साईकिल क्षतिग्रस्त हो गई, दोनों के होलमेट टूट गये तथा उक्त टक्कर से कृष्ण कुमार व सुभाष के चोटे आई, उनको

सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, इत्यादि।

2. उक्त तथ्यों की रिपोर्ट पेश होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 422/2019 अन्तर्गत धारा 279, 337 भादसं. में दर्ज हुई तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भादसं. व धारा 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र पेश हुआ, जिस पर न्यायालय द्वारा इसी धारा में प्रसंज्ञान के पश्चात् अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भादसं. व धारा 134/187 एमवी एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी ड 1 लगायत पी ड 6 के कथन लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 5 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये गये। चूंकि प्रकरण में मुख्य एवं महत्वपूर्ण साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है तथा प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित होकर 07 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण है। अभियोजन अधिकारी को भी प्रकरण में गवाहान को स्वयं के स्तर पर परीक्षित करवाने हेतु आदेशित किया जा चुका है, लेकिन अन्य कोई गवाहान के उपस्थित नहीं होने की सूरत में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त किया जाकर बन्द किया जाता है।

4. अभियुक्त को उसके विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण के लिए धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया तो गवाहों के कथनों को गलत होना बताया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

5. अतः बहस अन्तिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1. '' आया अभियुक्त ने दिनांक 03.09.2019 को समय सुबह करीब 8.05 बजे या इसके आसपास मौजा सिमारला मोड के पास में आमजन लोकमार्ग पर वाहन बस संख्या आरजे 13 पीबी 2641 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा मोटर साईकिल के टक्कर मारी जिससे उस पर सवार मजरूबान सुभाष के शरीर पर साधारण एवं कृष्ण कुमार के शरीर पर गम्भीर उपहति कारित हुई तथा अभियुक्त द्वारा दुर्घटना के पश्चात् घायल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाकर मौके से भाग गया, एतद्द्वारा अभियुक्त

ने धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2. यदि हां तो अभियुक्त को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा?

6. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिये है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। प्रकरण में मुख्य व महत्वपूर्ण साक्षीगण ने घटना की ताईद न्यायालय बयानों में नहीं की है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया गया है। अभियुक्त की कोई लापरवाही व उपेक्षा नहीं रही है। अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराधों से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, प्रकरण में सन्देह उत्पन्न होता है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन व परिशीलन किया गया।

9. प्रकरण में अवधारित व विचारणीय बिन्दु के प्रकाश में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो उपरोक्त विचारणीय बिन्दु की पुष्टि में परिवादी पी ड 1 लक्ष्मणराम ने बयान दिया कि दिनांक 03.09.2019 को सुबह करीब आठ सवा आठ बजे कृष्ण और सुभाष मोटर साईकिल से सिमारला रोड पर पहुंचे तो जयपुर की तरफ एक बस नम्बर आरजे 13 टीबी 2641 ने तेजगति से आकर मोटर साईकिल के टक्कर मारी जिससे उनके चोटें आई। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2, नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

10. मामलें का मजरूब पी ड 3 सुभाष कुमार ने बयान दिया कि दिनांक 03.09. 2019 को बाईक से कृष्ण के साथ सरगोठ आ रहा था। सिमरला मोड के पास में

जयपुर से सीकर की तरफ बस नम्बर आरजे 13 टीबी 2641 ने आकर उनके टक्कर मार दी जिससे उसके व कृष्ण के चोटें आई। उनको सरकारी अस्पताल में लेकर गये थे। उसके पुलिस में बयान हुये थे।

11. मौके का साक्षी पी ड 2 रोहिताश ने बयान दिया कि दिनांक 03.09.2019 को करीब 7.45 बजे मोटर साईकिल से आते समय सिमारला मोड के पास मोटर साईकिल सवार कृष्ण कुमार व विक्रमसिंह के बस नम्बर आरजे 13 टीबी 2641 ने टक्कर मार दी। नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

12. मौके का साक्षी पी ड 6 सुभाषचंद ने बयान दिया कि दिनांक 03.09.2019 को सुबह लगभग 7.45 बजे वह अपनी मोटर साईकिल से आ रहा था। सिमारला मोड के पास में बस नम्बर आरजे 13 पीबी 2641 ने आकर मोटर साईकिल सवार कृष्ण व सुभाष के टक्कर मार दी जिससे उनके चोटें आई। उनको सरकारी अस्पताल लेकर गये थे।

13. चिकित्साधिकारी पी ड 4 डा. अटलसिंह ने बयान दिया कि उसने मजरूब सुभाष के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

14. अन्य चिकित्साधिकारी पी ड 5 डा. चैनाराम ने बयान दिया कि मजरूब कृष्ण कुमार के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 5 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

15. उपरोक्तानुसार अभियोजन की ओर से परीक्षित परिवादी/मजरूबान व अन्य साक्षियों की साक्ष्य से वक्त घटना सुसंगत वाहन को अभियुक्त द्वारा तेजगति एवं लापरवाही से चलाया जाना एवं अभियुक्त की उक्त लापरवाही के कारण मजरूबान के शरीर पर साधारण व गम्भीर चोट कारित होना प्रकट होता है। प्रकरण का परिवादी लक्ष्मणराम व मौके का साक्षी रोहिताश द्वारा सुसंगत बस द्वारा मोटर साईकिल सवार कृष्ण कुमार व सुभाष के टक्कर मारना जिससे उनके चोटें कारित होना कथन किया गया है। मजरूबान के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि चिकित्साधिकारी साक्षीगण डा. अटलसिंह व डा. चैनाराम ने भी अपनी अपनी साक्ष्य में पूर्णतया की है। प्रकरण के नक्शे मौके के साक्षीगण ने अपने बयानों में नक्शे मौके को साबित किया है। अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विस्तृत विवेचन के परिप्रेक्ष्य में

अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह स्पष्टतः प्रमाणित कर पाया है कि आक्षेपित दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस संख्या आरजे 13 पीबी 2641 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा मोटर साईकिल के टक्कर मारी जिससे उस पर सवार मजरूबान सुभाष के शरीर पर साधारण एवं कृष्ण कुमार के शरीर पर गम्भीर उपहति कारित हुई तथा अभियुक्त के द्वारा दुर्घटना के पश्चात् घायल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाकर मौके से भाग गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

16. अतः अभियुक्त विक्रमसिंह पुत्र गुमानसिंह निवासी प्लाट नम्बर 79 शिवनगर दादी का फाटक जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अवीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(संयोगिता गहलोत)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर(राज.)

17. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षकारान् को सुना गया। विद्वान् अभिभाषक अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत चुका है ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने व प्रकरण लम्बित नहीं होने बाबत् पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाए जाने की प्रार्थना की। जबकि विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए समुचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

18. उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अनुशीलन व परिशीलन किया। अभियुक्त वर्ष 2019 से अन्वीक्षा की पीड़ा भोग चुका है। पूर्व में दोषसिद्धी बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है एवं प्रथम अपराध के क्रम में भी अभियुक्त द्वारा शपथ–पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को तुरन्त कारावास से दण्ड़ित किए जाने के जाने के बजाए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

19. अतः अभियुक्त विक्रमसिंह पुत्र गुमानसिंह निवासी प्लाट नम्बर 79 शिवनगर दादी का फाटक जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट के आरोप के तहत दोषसिद्ध घोषित पाये जाने पर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ इन शर्तों पर प्रदान किया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के 10 हजार रूपए की राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय के पेश कर तस्दीक कराए कि वह उक्त अवधि के दौरान सदाचार व शांति बनाए रखेगा, उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा उक्त शर्तो के उल्लंघन पर दण्डादेश ग्रहण किए जाने हेतु न्यायालय जब भी बुलाएगा स्वयं न्यायालय में हाजिर हो जावेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानों का लाभ दिया जावे। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत रूपये 1000/—रूपये अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते हैं।

20. साथ ही अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उसे पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है तथा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया है।

21. प्रकरण में जप्तशुदा उक्त वाहन सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे। जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपीलावधि नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

22. अभियुक्त को धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत 06 माह की अवधि के 10—10 हजार रूपए की राशि के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए जाते हैं।

(संयोगिता गहलोत)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर(राज.)

23. निर्णय आज दिनांक 01.08.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(संयोगिता गहलोत)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.07 12:30:37 IST